

बी०एस०बी० आवेदन के संलग्नक

(समस्त संलग्नक स्कैन करके उनकी केवल पी०डी०एफ० फाइल ही अपलोड की जायेगी। प्रत्येक स्कैन किये गये प्रपत्र की पी०डी०एफ० फाइल की साइज 500 के०बी० से 01 एम०बी० के मध्य होनी चाहिये।)

1. सोसाइटी मेमोरेण्डम/ट्रस्ट डीड।
2. सोसाइटी/ट्रस्ट का सी०ए० से प्रमाणित दो वर्ष के आय-व्यय का लेखा।
3. ट्रस्ट/सोसाइटी के उद्देश्य, विद्यालय प्रबन्ध-समिति का गठन, अधिकारों एवं कार्यों, प्रधानाचार्य के अधिकारों का स्पष्ट विवरण।
4. विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास, उद्देश्य, स्थिति, निकटस्थ रेल / बस एवं स्टेशन की दूरी।
5. नगर क्षेत्र में स्थित विद्यालय के लिये है एक किलोमीटर की परिधि में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों का विवरण, आवेदन पत्र में निर्धारित प्रारूप पर।
6. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय के लिये है 5 किलोमीटर परिधि में (उपर्युक्त संलग्नक क्रम 5 के अन्तर्गत निर्दिष्ट विद्यालयों को छोड़कर) स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों का विवरण, आवेदन पत्र में निर्धारित प्रारूप पर।
7. विद्यालय की भूमि निजी स्वमित्व अथवा किराये/लीज पर होने से सम्बन्धित प्रामाणिक अभिलेखों (बैनामा/खतौनी आदि) की प्रामाणिक प्रति।
8. भूमि के एकजाई होने के सम्बन्ध में भूमि का नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति।
9. विद्यालय भवन का स्केच मानचित्र।
10. चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का विवरण एवं उन पर व्यय होने वाली वार्षिक धनराशि।
11. विद्यालय कर्मचारी कल्याण योजनाओं (पी०एफ० योजना, प्रबन्धाधिकरण के अंशदान की दर, ग्रेच्युटी, एवं अन्य सुविधायें) का विवरण।
12. विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली की प्रमाणित प्रति जो बी० एस० बी० हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप हो और उसमें सभी आवश्यक प्रावधान उपलब्ध हों।
13. परीक्षाफल एवं शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों का उल्लेख करते हुए गत तीन वर्षों का कक्षावार परीक्षाफल।
14. विद्यालय शुल्क के अतिरिक्त आय के अन्य स्रोतों का विवरण।
15. विद्यालय का गत दो वर्षों का आय-व्यय का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा परीक्षित विवरण।
16. विद्यालय में समुचित अग्निशमन व्यवस्था हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम प्रमाणपत्र।
17. विद्यालय भवन के समुचित निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर०ई०एस० विभाग के अभियन्ता (भूतल हेतु अवर अभियन्ता तथा एक अधिकतल के भवन हेतु सहायक अभियन्ता) द्वारा निर्गत एन०बी०सी० का नवीनतम प्रमाणपत्र।
18. प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों की सूची के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से ट तक स्वीकार हैं।
19. विभाग/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों को सम्बन्धित संस्था/सोसाइटी/ट्रस्ट के बायलॉज/ट्रस्टडीड में समावेश करते हुए संस्था/सोसाइटी/ट्रस्ट के बायलॉज/ट्रस्टडीड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाये।
20. विद्यालय प्रबन्धक की ओर से स्व-घोषणा पत्र।